न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 406 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लूणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 2 कालूसिंह 3 पृथ्वीसिंह 4 रतनसिंह पिसरान लूणसिंह जाति राजपूत निवासी खेजडियाली झाक तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।		1 अमिता पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी खेजडियाली 2 धर्माराम पुत्र कानाराम 3 पदमसिंह दत्तक पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत 4 पपुदेवी पत्नी बाबूराम जाति जाट 5 बाबूराम पुत्र कानाराम जाति जाट 6 प्रिया पत्नी चैनाराम जाति कुम्हार 7 हस्तुदेवी पत्नी चेतनराम जाति कुम्हार निवासी खेडियाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :-

1. श्री रिणछाराम सियाग, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री हरीराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05।

आदेश

दिनांक....................

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391 / 231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की पत्नी / माता सायरकंवर पत्नी लूणसिंह ने उक्त भूमि चन्दनसिंह पुत्र कोहलसिंह से जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 04.10.2004 को क्रय की थी, जिस बेचान पत्र पर प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि के पूर्व दिशा में राणा वगैरा भील का खेत का सेढा, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में इसी खेत का शेष खेत आया हुआ है। वर्तमान में इसी प्रकार काश्तकार काबिज है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर लठ्ठा ट्रेस में राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच तरमीम बेचान पत्र में अंकित पड़ौसान के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जिसके कारण मौके व राजस्व रेकर्ड में अन्तर आ रहा है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त पर कब्जा काश्त संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल के अनुसार है। उक्त गलत तरमीम होने से मौके पर तनाव की स्थिति है। मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391 / 231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीगण मौके पर संलग्न [illegible] तथा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी [illegible] प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की [illegible] हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के [illegible] रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि [illegible] तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ "[illegible] के अनुसार दुरूस्त करवाने के [illegible] फरमावे।।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थिति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:31:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 ने जवाब प्रस्तुत नही किया। लिहाजा वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 का जवाब बन्द किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडु ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/880 दिनांक 18.09.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391/231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के समक्ष करने की गई जिसके अनुसार परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम करवाने हेतु उभय पक्ष सहमत है। लिहाजा मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391/231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार करने की अभिशंषा की है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करेनं पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शों, बेयान पत्र, का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडु ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु समस्त खातेदारों द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391/231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391/231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन उभय पक्षों की सहमति के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 391/231 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:31:19 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक .... को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर